BSES

6 बिजली चोर तिहाड़ जेल भेजे गए

- भारी रकम जमा कराने के बाद 3 आरोपियों को जमानत

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर, 2007। बिजली की स्पेशल कोर्ट्स अब बिजली चोरों के खिलाफ काफी सख्त रवैया अपना रही हैं। न सिर्फ बड़े पैमाने पर बिजली चोरों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है, बल्कि उन्हें जमानत भी मुश्किल से ही मिल पा रही है। पटपड़गंज स्पेशल कोर्ट ने तीन अलग–अलग मामलों में बिजली चोरी के आरोपियों से भारी रकम जमा करवाने के बाद उन्हें जमानत दी।

आरोपी से पहले 1 लाख रूपये जमा करवाए, फिर दी जमानत

लंबे समय से पुलिस से भागता फिर रहा बिजली चोरी का आरोपी इस्माइल आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। चौहान बंगर निवासी इस्माइल और तौफीक को बीएसईएस एन्फोर्समेंट टीम ने 38 किलोवॉट बिजली की सीधी चोरी करते पकड़ा था। उन पर करीब 15 लाख रूपये का जुर्माना किया गया था, लेकिन आरोपियों ने उसका भुगतान नहीं किया। वहां जींस डाइंग फैक्ट्री चल रही थी। इसके बाद कंपनी ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन पिछले काफी समय से वे लोग पुलिस से भागते फिर रहे थे। जब कोर्ट ने उनकी संपत्ति को सील करने के आदेश दिए, तो आरोपी तौफीक पुलिस के सामने हाजिर हो गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जब उस ने अपनी जमानत की अर्जी लगाई, तो कोर्ट ने उसे पहले 1 लाख रूपये जमा कराने को कहा। इतनी रकम जमा कराए जाने के बाद ही उसे जमानत दी गई।

75 हजार रूपये जमा करवाने के बाद, लेथ मशीन चलाने वाले को दी गई जमानत

मामला जौहरीपुर का है। बीएसईएस एन्फोर्समेंट टीम ने लेथ मशीन चलाने वाले दो व्यक्तियों– सुधीर और विजेंदर के घर छापा मारा और वहां करीब 13 किलोवॉट बिजली की सीधी चोरी पकड़ी। आरोपियों पर करीब 5 लाख रूपये का जुर्माना किया गया, लेकिन अभियुक्तों ने जुर्माने की रकम नहीं चुकाई। इसके बाद कंपनी ने स्पेशल कोर्ट में केस दर्ज कराया। कोर्ट के बुलाने पर भी जब अभियुक्त कोर्ट में पेश नहीं हुए, तो कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया कि मकान मालिक विजेंदर की संपत्ति की कुर्की कर ली जाए। फिर, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर तिहाड़ जेल भेज दिया। पांच दिन जेल में रहने के बाद आरोपी की जमानत की अर्जी पर विचार किया गया, और कोर्ट ने उससे 75 हजार रूपये जमा करवाने के बाद उसे जमानत दी।

आयरन स्टीम प्लांट मालिक को 60 हजार रूपये जमा कराने पर, मिली जमानत

पुरानी सीलमपुर में आयरन स्टीम प्लांट चलाने वाले राम अवतार और श्याम को बीएसईएस एन्फोर्समेंट टीम ने 14 किलोवॉट बिजली की सीधी चोरी करते पकड़ा। अभियुक्तों पर 6 लाख रूपये का जुर्माना किया गया। जुर्माना न चुकाने पर, बीएसईएस ने गांधी नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। इस आधार पर पुलिस ने राम अवतार को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद स्पेशल कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। 60 हजार रूपये जमा करवाने के बाद अभियुक्त को जमानत मिली।

जींस डाइंग यूनिट में बिजली चोरी कर रहे दो को जेल

सीलमपुर में जींस वॉशिंग व डाइंग यूनिट के मालिक अजय और बिजली चोरी में उसे सहयोग करने वाले जग्गन को 14 किलोवॉट बिजली की सीधी चोरी के आरोप में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन पर 5 लाख रूपये से अधिक का जुर्माना किया गया था, लेकिन जुर्माने की रकम अदा नहीं किए जाने के बाद बीएसईएएस ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। स्पेशल कोर्ट में पेश किए जाने पर उन्हें जेल का रास्ता दिखा दिया गया।

गांधी नगर निवासी भी सलाखों के पीछे

व्यावसायिक गतिविधि चलाने वाले गांधी नगर निवासी संजय उर्फ संजीव को करीब 11 किलोवॉट बिजली की सीधी चोरी करते पकड़ा गया, जिसके लिए उस पर करीब 4 लाख रूपये का जुर्माना किया गया। जुर्माना अदा न किए

जाने के बाद बीएसईएस ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। इस आधार पर पुलिस ने उसे स्पेशल कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस अपने उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: प्रशान्त दुआ
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस– **39999870/ 9312007822**

चंद्र पी कामत
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस– **39999088/ 9350130304**

2/2